

P.upto  
Raj. website  
M. 2017

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(ङ)( )विधि/मनो./डीएलबी/16/2576

दिनांक: 10/11/17

### अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की घारा 6 (i) (ii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगरपालिका मण्डल की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए नगरपालिका, भीष्ठर एवं नगरपालिका, कानोड में उनके नाम के समुख अकित व्यक्तियों को एतद्वारा सहवृत्त सदस्य मनोनीत करती है:-

क्र.सं.	नगर निकाय का नाम	व्यक्ति का नाम
1.	नगरपालिका भीष्ठर	01. प्रेनशंकर पण्डिय 02. सुरेश कण्ठालिया 03. उदयसिंह चौहान 04. लीलाधर सोनी
2.	नगरपालिका कानोड	01. गिरधारी सोनी 02. युगल किशोर श्रीमाली 03. जगदीश भण्डारी 04. पंकज मेहता

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

  
(पवन अरोड़ा)

क्रमांक: प.8(ङ)( )विधि/मनो./डीएलबी/16/2577-31 दिनांक: 10/11/17  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
04. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को नगर निगम, उदयपुर में सहवृत्त सदस्यों के पूर्व में आदेश जारी कर दिये गये हैं, प्रति सलाना है।
05. निला कलक्टर, जोधपुर।
06. संबंधित समस्त उपखण्ड अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि मनोनीत सदस्यों को एक माह में नियमानुसार शपथ दिलाने की कार्यवाही करे।
07. निदेशक / अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ कृपया 20 प्रति बिज्याने का अम करे।
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेशण विभाग राज0 जयपुर।
09. उप निदेशक (केन्द्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर।
10. सम्बंधित आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका ..... को मेजकर निर्देशित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करे।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
12. प्रभारी, मोनेटरिंग सैल, निदेशालय को विभागीय बैठकाइट पर अपनोड करने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

  
(अशोक कुमार सिंह)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी